भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि ८ अप्रैल, १९५३ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

CATTLE AND VALUABLES LOOTED BY PAKISTANI RAIDERS.

124. Shri CHOUDHARY MUHAMMAD AFAQUE : Will the Chief Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that in the night of March 12th, 1953, Indian armed police shot and took into custody two Pakistani raiders near the Indo-Pak border under Islampur P.-S., District Purnea ;

(*b*) whether it is a fact that these raiders carried off cattle and valuables of Village Baragharia under Islampur P. S. taking advantage of darkness ;

(*c*) whether it is a fact that the armed police are insufficiently supplied with long-range flash-light to successfully cope with night raiders ;

(*d*) whether the State Government have requested the Central Government to lodge a strong protest with East Pakistan authorities in connection with the raids ?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : (*a*) and (*b*) The answer is in the affirmative.

(*c*) The answer is in the affirmativ. The question of equipping the B. M. P. Police with long-range flash-lights is engaging the attention of the State Government.

(*d*) The matter has been brought to the notice of the Government of India.

Shri JAGANNATH SINGH : I would like to know, Sir, what effective step Government contemplate to take for prevention of such incidents in future.

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : We have been able to maintain peace by drawing the attention of the Government of India.

Shri ANATH KANTA BASU : Will Governmet be pleased to state what steps have been taken by the Government of India to prevent the occurrence of these incidents ?

दि बिहार डिप्टी मिनिस्टर्स सैलरीज ऐन्ड एलाउएन्सेज (अमेंडमेंट) बिल, १९५३ (१९५३ की बि० सं० २४)।

THE BIHAR DEPUTY MINISTERS' SALARIES AND ALLOWANCES (AMENDMENT) BILL, 1953 (BILL NO. 24 OF 1953).

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

दि बिहार डिप्टी मिनिस्टर्स सैलरीज ऐन्ड एलाउएन्सेज (अमेंडमेंट) बिल, १९५३ पर विचार हो।

अध्यक्ष—मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य ने इसके प्रावधान को पढ़ लिया होगा

क्लौज २ अक्षरशः अभी सभा में हमलोगों ने मंजूर कर लिया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सभा की कार्रवाई शुरू करनी चाहिये।

Shri PADARATH SINGH : Sir, I beg to move :

That the Bihar Deputy Ministers' Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1953, be circulated for eliciting public opinion thereon by 30th April, 1953.

अध्यक्ष महोदय, इस बिल में तीन बातों का उल्लेख किया गया है। पहली बात है डिप्टी मिनिस्टर्स के लिये मोटर एलावेन्सेज की, दूसरी बात है मोटर खरीदने के लिये ऋण देने की और तीसरी है उन्हें सपरिवार मुफ्त दवा-दारू की बात। मेरा कहना यह है कि बिहार प्रान्त एक गरीब प्रान्त है और इस प्रान्त का बजट डेढ़ करोड़ के घाटे में है जैसा कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने बतलाया है। जब एक ओर हमारा बजट डेढ़ करोड़ के घाटे का है तो इस सरकार को चाहिये था कि इसकी कमी की पूर्त्ति के लिये इस तरह के खर्चों को रोकती और इसके लिये अपना पहला कदम उठाती लेकिन ऐसा न करके टी० ए० और एलावेन्सेज आदि खर्चों में किसी तरह की कमी न करके तथा उपमंत्रियों की संख्या बढ़ा कर खर्च की कमी के साथ मखौल उड़ाया जा रहा है। यदि वे लोग जिनको खर्च की कमी के कार्यक्रम को पूरा करना है वही इतना भत्ता लेते रहेंगे तो खर्च की कमी का कार्यक्रम कैसे सफल हो सकेगा। अतः जनता की क्या राय है इसके लिये इस बिल को जनमत के लिये प्रसारित किया जाय।

दूसरी बात यह है कि मोटर खरीदने के लिये जो कर्ज दिया जायेगा वह ठीक नहीं है। ऋण उसी आदमी को मिलता है जिसकी आर्थिक अवस्था अच्छी रहती है परन्तु उसका शाख रहता है। यदि उपमंत्रियों की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उन्हें ऋण देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनकी आर्थिक स्थिति खराब है तो कर्ज कैसे और किस शाख के ऊपर दिया जा सकता है। यदि वे ऋण लेंगे तो कहां से ऋण अदा करेंगे; उनकी आमदनी कहां से बढ़ जायगी कि वे ऋण चुका सकेंगे।

अध्यक्ष—मुशाहरे पर कर्ज नहीं देंगे क्या?

श्री पदारथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुशाहरा तो खर्च भर ही रहता है जैसा कि माल मंत्री जी ने कहा है कि वेतन और टी० ए० में उन्हें एक पैसा भी नहीं बचता है। उनकी आमदनी कहां उतनी है जिसपर ऋण दिया जा सके, विश्वास के लिये ऐसा

कोई प्रमाण नहीं है जिसके ऊपर ऋण उन्हें दिया जा सके। इसलिये मैं चाहता हूँ कि उनको ऋण न दिया जाय और पब्लिक में यह बिल प्रसारित की जाय कि हमारे उपमंत्रीगण जो गरीब तबके से आये हुए हैं वे हमारे रुपयों से मोटर खरीद कर ऐशो आराम करें अथवा नहीं।

अध्यक्ष—कर्ज तो देना ही होगा, उनको तो अपना रुपया है।

श्री पदारथ सिंह—अध्यक्ष महोदय उन्हें अपना रुपया कहां बचता है और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि बाकी चार वर्षों के अन्दर वे ऋण के रुपये अदा कर देंगे? इसलिये मैं चाहता हूँ कि उन्हें ऋण नहीं दिया जाय। तीसरी बात जो मुफ्त दवा देने की है वह ठीक नहीं मालूम पड़ती है। उपमंत्रियों एवं उनके परिवार वालों को मुफ्त दवा देकर एक विशेष सुविधाप्राप्त वर्ग बिहार की जनता के ऊपर बनाने की चेष्टा इस बिल के द्वारा की गई है। इससे जनता और मिनिस्टरों के बीच एक चौड़ी खाई खुदने का डर है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस बिल को जनमत के लिये भेज दिया जाय।

सभा वृहस्पतिवार, तिथि ९ अप्रैल, १९५३ को ८ बजे दिन तक स्थगित की गई।

पटना,
तिथि ८ अप्रैल, १९५३।

रघुनाथ प्रसाद,
सचिव, बिहार विधान-सभा।

बि० स० मु०—१६७ (एल०ए०)—मोनो—७९५+२५—१-२-१९५४—घ० नाथ